I

बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

अधिसूचना

अधि0सं0 :- ____________________/ग्रा0वि0 पटना, दिनांक :-____________________

ग्रा0वि0-14(नि0को0)वैशाली-42/2017

श्री प्रमोद कुमार, तत्कालीन ग्रामीण विकास पदाधिकारी-सह-प्रखंड विकास पदाधिकारी, महनार प्रखंड, जिला- वैशाली को निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, पटना के गठित धावा दल द्वारा दिनांक 04.09.2017 को परिवादी श्री सोनू पासवान से ₹30,000.00 (तीस हजार रुपये) रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया। रिश्वत लेने के आरोप में उनके विरूद्ध निगरानी थाना कांड संख्या- 070/2017 दिनांक- 04.09.2017, धारा- 7/8/13(2)-सह-पठित धारा- 13(1)(डी) भ्र0नि0अधि0 1988 दर्ज होने की सूचना निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के ज्ञापांक- **2625**/अप0शा0 दिनांक- **13.09.2017** से प्राप्त हुई जो सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक- 12703 दिनांक- 05.10.2017 के माध्यम से प्राप्त हुआ ।

2. अतएव बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम- 9(2)(क) में निहित प्रावधान के आलोक में कारा निरोध की तिथि 04.09.2017 के प्रभाव से निलम्बित किया जाता है । चूँकि श्री कुमार द्वारा दिनांक- 06.11.2017 को कारा से मुक्त होने की सूचना देते हुए दिनांक- 07.11.2017 को विभाग में योगदान समर्पित किया गया है । अत: बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम- 9(3)(i) में निहित प्रावधान के आलोक में श्री कुमार को निलम्बनमुक्त करते हुए दिनांक- 07.11.2017 के प्रभाव से योगदान स्वीकृत किया जाता है।

3. कारा अवधि के निलम्बन अवधि में श्री कुमार को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-10 के तहत अनुमान्य जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

4. उपरोक्त आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(संजय कुमार सिंह)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक :- 340283/ग्रा0वि0 पटना, दिनांक :- 30/11/2017

चपरासी बही

प्रतिलिपि:- प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना (दो प्रतियों में सी.डी. सहित) को बिहार गजट के अगले अंक में प्रकाशनार्थ / प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषाग) विभाग; बिहार, पटना / पुलिस अधीक्षक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक :- 340283/ग्रा0वि0 पटना, दिनांक :- 30/11/2017

निबन्धित/ ईमेल/चपरासी बही

प्रतिलिपि:- जिला पदाधिकारी, वैशाली/ उप विकास आयुक्त, वैशाली/ जिला कोषागार पदाधिकारी, वैशाली / पुलिस अधीक्षक, वैशाली / विशेष कार्य पदाधिकारी, लेखा प्रशाखा/प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा-03; ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना / कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना / प्रखंड विकास पदाधिकारी, महनार, जिला- वैशाली / श्री प्रमोद कुमार, तत्कालीन ग्रामीण विकास पदाधिकारी-सह-प्रखंड विकास पदाधिकारी, महनार प्रखंड, जिला- वैशाली सम्प्रति ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक :- 340283/ग्रा0वि0 पटना, दिनांक :- 30/11/2017

चपरासी बही

प्रतिलिपि:- आप्त सचिव, मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक :- 340283/ग्रा0वि0 पटना, दिनांक :- 30-11-2017

चपरासी बही

प्रतिलिपि:- आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर प्रदर्शित करने हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।